वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

गुलाबराम पुत्र परिराम जाति कि० पटेल

मालाराम पुत्र अर्जुनराम जाति सम्पत कि० पटेल

किस्म मुकदमा उपखण्ड अधीन धारा 88 R.T.A. मु.नं. 59/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30/4/18	प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88 R.T.A. 1955 के तहत पेश किया वादीगण का दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तारीख जारी हो नियम दि० 31/5/2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
31/5/18	पटवारी केम्प पटेवली में पेश हुई R.1, पटवारी मय रेकार्ड के उपर रेकार्ड का अवलोकन किया बाद अवलोकन केम्प पटेवली में उपस्थित सरपंच मोखराम की युक्त तस्दीक करने पर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर ग्राम पटेवली के खसरा 158 रकबा 1.38 है० खसरा 159 रकबा 1.54 है० के स्थान पर 158 का रकबा 1.54 है० दुरूस्त किया जाता है एवं खसरा 159 का रकबा 1.38 है० दुरूस्त किया जाता है। रेकार्ड में अलग दुरूस्त हेतु जरूरी कार्यवाही जारी हो। निर्णय आज केम्प पटेवली में सुनाया जाकर गया। मिसल नम्बर के साथ होकर दुरूस्त पटवारी जिलेवार को आज केम्प पटेवली में सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Web Copy - Not Official